प्रारंभिक परीक्षा

भारत में दवा ट्रेडमार्क विवाद

संदर्भ

- एक ट्रेडमार्क विवाद तब उत्पन्न हुआ जब नोवो नॉर्डिस्क (Novo Nordisk) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (Dr. Reddy's Laboratories) पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दवा का नाम "Olymviq" उसकी मधुमेह की दवा "Ozempic" के भ्रामक रूप से समान था, जो औषधीय ट्रेडमार्क पर भारत के सख्त नियमों को रेखांकित करता है।

भारत में दवाओं के नामकरण के लिए कानूनी ढांचा

भारत में दवाओं के नाम ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत विनियमित होते हैं। इसकी महत्वपूर्ण धाराएं इस प्रकार हैं:

धारा (ट्रेडमार्क अधिनियम)	प्रावधान (दवाओं के नामकरण के संबंध में)
धारा 9 – विशिष्टता	ट्रेडमार्क विशिष्ट होने चाहिए।
धारा 11 – पूर्ववर्ती चिह्नों के साथ समानता	औषधीय ट्रेडमार्क मौजूदा दवाओं के नामों के "भ्रामक रूप से समान" नहीं होने चाहिए, विशेष रूप से तब जब ऐसी समानता डॉक्टरों, फार्मासिस्टों या रोगियों के बीच भ्रम पैदा कर सकती हो।
धारा 13 – अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (INN)	अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नामों (INN)—सक्रिय औषधीय सामग्री (APIs) के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सामान्य नाम—पर एकाधिकार प्राप्त करने को प्रतिबंधित करता है। कंपनियां INN से ब्रांड नाम व्युत्पन्न (derive) कर सकती हैं, लेकिन परिणामी नाम स्पष्ट रूप से सुभेद्य (distinguishable) होना चाहिए।
धारा 29 – ट्रेडमार्क का उल्लंघन	बिना अनुमति के समान वस्तुओं के लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क या भ्रामक रूप से समान चिह्न का उपयोग उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
धारा 27 – 'पासिंग ऑफ' (Passing off) उपचार	ट्रेडमार्क पंजीकरण के बिना भी, अदालतें किसी ऐसे भ्रामक दवा के नाम के उपयोग को रोक सकती हैं जो गलत तरीके से किसी अन्य निर्माता के साथ जुड़ाव का संकेत देता है।

दवा ट्रेडमार्क पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय

- कैडिला हेल्थकेयर मामला (2001) ने औषधीय ट्रेडमार्क में "भ्रामक समानता" निर्धारित करने के लिए सख्त मानक स्थापित किए।
  - उदाहरण के लिए: ध्वन्यात्मक समानता, दृश्य सादृश्य, दवा की प्रकृति और चिकित्सीय उपयोग, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों या रोगियों के बीच भ्रम की संभावना।
- **बॉम्बे उच्च न्यायालय (2023):** न्यायालय ने माना कि औषधीय ट्रेडमार्क में भ्रम की थोड़ी सी भी संभावना एक समान ब्रांड नाम के उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त है।
- **लेटरोज़ बनाम लेटेरो (Letroz vs Letero) पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय (2022):** न्यायालय ने दोनों नामों की अनुमति दी क्योंकि वे एक ही INN "लेट्रोज़ोल" (Letrozole) से व्युत्पन्न थे और विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिससे भ्रम का जोखिम कम था।

हीलियम की कमी ने तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है

संदर्भ

- पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक हीलियम आपूर्ति को सीमित कर दिया है, जिससे उच्च-सटीक विनिर्माण और शीतलन प्रक्रियाओं के लिए इस गैस पर निर्भर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

हीलियम उत्पादन

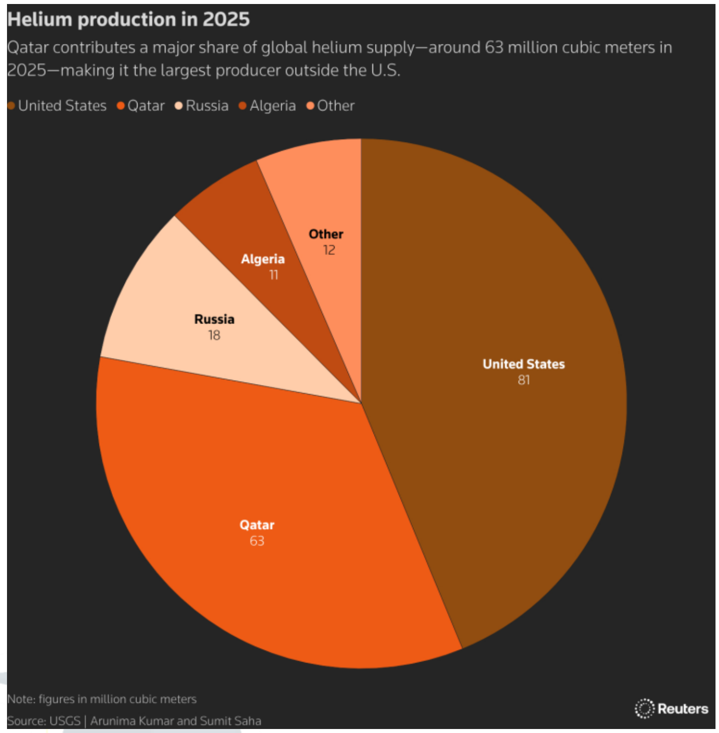

- **स्रोत**: हीलियम मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण के एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, जहाँ यह यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय के माध्यम से भूमिगत गैस भंडारों में संचित होता है।
- **निष्कर्षण**: प्राकृतिक गैस शोधन के दौरान, क्रायोजेनिक आसवन (cryogenic distillation) के माध्यम से हीलियम को अलग किया जाता है।
- **प्रमुख उत्पादक**: संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर सबसे बड़े वैश्विक उत्पादकों में शामिल हैं, जिसमें कतर वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।
- **आपूर्ति की विशेषताएं**: उत्पादन भौगोलिक रूप से केंद्रित है, जो वैश्विक आपूर्ति को भू-राजनीतिक व्यवधानों और परिवहन विलंब के प्रति संवेदनशील बनाता है।

हीलयम के उपयोग – प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	हीलियम का उपयोग
अर्द्धचालक (Semiconductor) उद्योग	चिप निर्माण प्रक्रियाओं में शीतलन, रिसाव का पता लगाने और सटीक विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।
चिकित्सा क्षेत्र	तरल हीलियम एमआरआई (MRI) स्कैनर्स में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा करता है।
अंतरिक्ष एवं एयरोस्पेस	रॉकेट ईंधन टैंकों को दबावयुक्त करने और प्रणोदन प्रणालियों को शुद्ध (purge) करने के लिए उपयोग किया जाता है।
क्रायोजेनिक्स एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	अपने अत्यंत निम्न क्वथनांक के कारण अति-निम्न तापमान प्रयोगों को सक्षम बनाता है।
औद्योगिक विनिर्माण	आर्क वेल्डिंग, रिसाव का पता लगाने और वैक्यूम सिस्टम में उपयोग किया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फाइबर ऑप्टिक्स	अर्द्धचालक और फाइबर-ऑप्टिक उत्पादन के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है।
मौसम विज्ञान	मौसम के गुब्बारों और वायुमंडलीय अनुसंधान गुब्बारों में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह वायु से हल्का और अज्वलनशील है।

2035 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)

संदर्भ

भारत ने 2031-2035 की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान(NDC) के अपने तीसरे सेट की घोषणा की है।

नए 2035 लक्ष्य बनाम 2030 की प्रतिबद्धताएं

अद्यतन एनडीसी (NDC) प्रथम 'ग्लोबल स्टॉकटेक' (GST) की एक प्रतिक्रिया है, जिसने यह निष्कर्ष निकाला था कि विश्व वर्तमान में तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के पथ पर नहीं है।

लक्ष्य श्रेणी	2030 के लक्ष्य (अगस्त 2022 में अद्यतित)	2035 के लक्ष्य (मार्च 2026 में घोषित)
गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित	स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म	स्थापित विद्युत क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म

विद्युत क्षमता	स्रोतों से	स्रोतों से
जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता	2005 के स्तर से 44% की कमी	2005 के स्तर से 47% की कमी
कार्बन सिंक (वन और वृक्ष आवरण)	2.5–3 बिलियन टन CO_2 समकक्ष का अतिरिक्त सिंक बनाना	सिंक को बढ़ाकर 3.5–4 बिलियन टन CO_2 समकक्ष करना

सकारात्मक पक्ष

- **2030 के लक्ष्यों की समय से पूर्व प्राप्ति:** भारत ने निर्धारित समय से चार साल पहले ही 50% गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य हासिल कर (2026 की शुरुआत तक 52.5% तक पहुँचकर) "मजबूत संकल्प" का प्रदर्शन किया है। यह 2035 के लिए अधिक महत्वाकांक्षी 60% लक्ष्य हेतु एक विश्वसनीय आधार तैयार करता है।
- **विकास और उत्सर्जन के बीच संबंध विच्छेद:** 2020 तक उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल करना यह साबित करता है कि भारत कार्बन उत्सर्जन की दर को कम करते हुए उच्च जीडीपी वृद्धि दर को बनाए रख सकता है। नया 47% का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक "हरित" बनाने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
- **परमाणु और हाइड्रोजन की ओर झुकाव:** शांति (SHANTI) अधिनियम (2025) एक प्रमुख सकारात्मक कदम है, जो परमाणु क्षेत्र को 49% एफडीआई (FDI) के लिए खोलता है। यह 200-250 मेगावाट के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) की तैनाती को सक्षम बनाता है, जो विकेंद्रीकृत, कार्बन-मुक्त बेसलोड पावर प्रदान करते हैं और रुक-रुक कर मिलने वाली सौर एवं पवन ऊर्जा के पूरक बनते हैं।
- **ग्लोबल साउथ क्लाइमेट इवेंजेलिज्म (Climate Evangelism):** जहाँ अमेरिका जैसे विकसित देश जलवायु प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहे हैं, वहीं भारत द्वारा "स्वच्छ ऊर्जा पथ" की पुष्टि 'समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व' (CBDR) पर जोर देते हुए ग्लोबल साउथ के एक सिद्धांतवादी नेता के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करती है।
- **अनुकूलन (Adaptation) पर ध्यान:** एनडीसी (NDC) उचित रूप से 'हीट एक्शन प्लान' और हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी को प्राथमिकता देता है, यह स्वीकार करते हुए कि एक उष्णकटिबंधीय देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अनुकूलन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शमन (Mitigation)।

आलोचना: क्या भारत के 2035 के लक्ष्य बहुत रूढ़िवादी हैं?

- **"शिथिलता" (Slack) का तर्क:** भारत द्वारा 2026 तक पहले ही 52.5% गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त कर लेने के कारण, आलोचकों का तर्क है कि 2035 के लिए 60% का लक्ष्य अत्यधिक सतर्कतापूर्ण है।
  - यह "क्रमिक वृद्धि" (incrementalism) सौर और पवन ऊर्जा की वास्तविक घातीय वृद्धि को कमतर आंक सकती है, जो संभावित रूप से गति के धीमे होने का संकेत देती है।
- **1.5°C संरेखण का अभाव:** यद्यपि भारत कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जलवायु मॉडल बताते हैं कि ये प्रतिज्ञाएं 1.5°C ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।
  - उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य में केवल 2% की वृद्धि आक्रामक डीकार्बोनाइजेशन के बजाय "ऊर्जा सुरक्षा" को प्राथमिकता देने का संकेत देती है।
- **रणनीतिक अल्पीकरण (Strategic Underselling):** विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि पश्चिमी वित्तीय सहायता विफल रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय कानूनी दबाव से बचने के लिए भारत जानबूझकर औपचारिक एनडीसी को कम रख रहा है।
  - यह घरेलू स्तर पर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने की अनुमति देता है, लेकिन वैश्विक मंच पर "उच्च-स्तरीय महत्वाकांक्षा" की कथित कमी के लिए आलोचना का पात्र भी बनता है।

एनडीसी (NDCs) प्राप्त करने में चुनौतियां

- **"वित्तीय शून्य":** प्राथमिक बाधा विकसित देशों द्वारा COP29 (बाकू) में मांगे गए 1.3 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक जलवायु वित्त प्रदान करने में विफलता है।
- **क्षमता बनाम वास्तविक उत्पादन:** एक प्रमुख संरचनात्मक मुद्दा यह है कि जहाँ 52.5% क्षमता गैर-जीवाश्म है, वहीं वास्तविक उत्पादित बिजली का केवल 20-25% ही इन स्रोतों से आता है। इस अंतर को पाटने के लिए बैटरी भंडारण और ग्रिड स्थिरीकरण में भारी निवेश की आवश्यकता है।

- **कार्बन सिंक विरोधाभास:** सिंक को 4 बिलियन टन तक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण की आवश्यकता है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि "एकल-कृषि वृक्षारोपण" (monoculture plantations) (अक्सर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है) में प्राकृतिक वनों की जैव विविधता का अभाव होता है और यह स्थानीय मिट्टी तथा जल के लिए प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणाम उत्पन्न कर सकता है।
- **कठिनता-से-शमन वाले (Hard-to-Abate) क्षेत्र:** उत्सर्जन तीव्रता को अतिरिक्त 2% (45% से 47% तक) कम करना तकनीकी रूप से कठिन है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था अधिक कुशल होती जाती है, केवल दक्षता उपायों के माध्यम से कमी का प्रत्येक अगला प्रतिशत हासिल करना "घातीय रूप से कठिन" और महंगा होता जाता है।
- **एकपक्षीय व्यापार बाधाएं:** भारत "हरित संरक्षणवाद" (green protectionism) से बाहरी दबाव का सामना कर रहा है, जैसे कि अमीर देशों द्वारा लगाए गए कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये उपाय भारतीय निर्यात को खतरे में डालते हैं जबकि विकसित देश साथ-साथ अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं से "पीछे हट" रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)

● **परिभाषा**: एनडीसी स्व-निर्धारित जलवायु प्रतिज्ञाएं हैं जहाँ प्रत्येक देश पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करने के वैश्विक लक्ष्य में योगदान देने के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है।

● **दायरा**: इनमें शमन (ग्रीनहाउस गैसों को कम करना), अनुकूलन (लचीलापन बनाना), और अक्सर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल होती है।

● पेरिस समझौते के प्रत्येक पक्ष के लिए हर पांच साल में एनडीसी संप्रेषित करना या अद्यतन करना अनिवार्य है।

● **"रैचेट मैकेनिज्म" (Ratchet Mechanism):** पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4.3 के तहत, प्रत्येक क्रमिक एनडीसी को पिछले वाले की तुलना में प्रगति का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और देश की "उच्चतम संभव महत्वाकांक्षा" को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

● यह अधिदेश 'समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं' द्वारा निर्देशित है।

● देशों के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है कि वे अपने एनडीसी को UNFCCC सचिवालय को संप्रेषित करें और 'उन्नत पारदर्शिता ढांचे' (ETF) के माध्यम से अपनी प्रगति की रिपोर्ट करें।

वन्यजीव अपराध(WILDLIFE CRIME)

संदर्भ

एक अध्ययन से पता चलता है कि पंजाब, जो भारत के सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है (3.6% से भी कम वन क्षेत्र), उच्च तीव्रता वाले वन्यजीव अपराध और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

- **वैधानिक निकाय:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2006 में संशोधित) के तहत स्थापित।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **क्षेत्रीय कार्यालय:** दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालय। इसके अलावा, यह तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रमुख सीमा बिंदुओं पर विभिन्न इकाइयों का संचालन करता है।
- **दायित्व**
  - **खुफिया जानकारी का संग्रह:** संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसे संकलित करना तथा तत्काल कार्रवाई के लिए राज्य और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रसारित करना।
  - **केंद्रीकृत डेटाबेस:** वन्यजीव अपराधों और अपराधियों पर एक डेटा बैंक बनाए रखना ताकि अपराधों के पैटर्न और बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने में मदद मिल सके (उदाहरण के लिए, वन्यजीव अपराध डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली)।
  - **अंतर-एजेंसी समन्वय:** राज्य वन विभाग, पुलिस, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सीमा पार तस्करी पर नज़र रखने के लिए इंटरपोल, सीआईटीईएस सचिवालय और विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- **क्षमता निर्माण:** वन्यजीव कानूनों, प्रजातियों की पहचान और डिजिटल फोरेंसिक पर प्रवर्तन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना।

- **प्रमुख पहल**
  - **ऑपरेशन सेव कूर्म**: जीवित कछुओं और टर्टल के अवैध व्यापार पर केंद्रित।
  - **ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड**: शाहतोश शॉल (तिब्बती मृग से प्राप्त) के अवैध व्यापार को लक्षित।
  - **ऑपरेशन बिरबिल**: जंगली बिल्ली और भालू प्रजातियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से।
  - **ऑपरेशन थंडर बर्ड**: वन्यजीव अपराध के खिलाफ इंटरपोल के समन्वय से चलाया गया एक बहुराष्ट्रीय अभियान।
  - **ऑपरेशन वाइल्डनेट**: अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग की निगरानी और रोकथाम के लिए शुरू किया गया।

अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति की खोज की गई

संदर्भ

अरुणाचल प्रदेश (लेपाराडा जिला) में तितली की एक नई प्रजाति, यूथेलिया ज़ुबीनगार्गी की खोज की गई है और इसका नाम असमिया सांस्कृतिक प्रतीक ज़ुबीन गर्ग के नाम पर रखा गया है।

प्रजातियों के बारे में

- **सामान्य नाम:** "बासर ड्यूक", अरुणाचल प्रदेश के एक स्थानीय पुलिस कांस्टेबल के नाम पर रखा गया है।
- **आवास और वितरण:** यह तितली लेपाराडा जिले में 600 से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अर्ध-सदाबहार जंगलों में पाई गई है।
- **जीव विज्ञान और विशेषताएं**
  - यह प्रजाति यूथेलिया वंश से संबंधित है, जो दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया में व्यापक रूप से वितरित है।
    - इस वंश के सदस्य आमतौर पर घने वन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े होते हैं।
  - **इस तितली की विशेषताएँ हैं:** मिट्टी जैसे भूरे पंख, हल्के धब्बेदार निशान, जो इस प्रजाति की खासियत हैं।

होप आइलैंड (HOPE ISLAND)

संदर्भ

एक महत्वपूर्ण संरक्षण सफलता में, वन्यजीव प्रबंधन प्राधिकरण और कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के अधिकारियों ने होप आइलैंड पर ओलिव रिडले कछुए के लगभग 20,000 अंडों को सफलतापूर्वक संरक्षित किया है।

होप आइलैंड के बारे में

- **प्रकार**: यह 16 किमी लंबा सैंडस्पिट (sandspit - एक निक्षेपण भू-आकृति) है, जो गोदावरी नदी के जल द्वारा लाए गए अवसादों (sediment) से निर्मित हुआ है।
- **आकार**: इसे प्रसिद्ध रूप से टैडपोल (tadpole) के आकार का वर्णित किया गया है।
- **सुरक्षात्मक अवरोध**: यह द्वीप एक प्राकृतिक ब्रेकवॉटर (breakwater) के रूप में कार्य करता है, जो काकीनाडा के बंदरगाह शहर को बंगाल की खाड़ी से आने वाली ऊंची लहरों, चक्रवाती तूफानों और ज्वारीय लहरों (tidal surges) के प्रत्यक्ष प्रभाव से बचाता है।
  - यह "काकीनाडा खाड़ी" का निर्माण करता है, जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है।
- **काकीनाडा बंदरगाह**: होप आइलैंड द्वारा निर्मित खाड़ी का शांत जल काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट को प्रतिकूल मौसम के दौरान भी वर्ष भर परिचालन करने की अनुमति देता है।

ओलिव रिडले कछुओं के बारे में

विशेषता	ओलिव रिडले
वैज्ञानिक नाम	लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया (Lepidochelys olivacea) - यह एक समुद्री कछुए की प्रजाति है
IUCN स्थिति	संवेदनशील (Vulnerable)
WPA 1972	अनुसूची I
आकार	लघुतम (60-70 सेमी)
विशिष्ट शारीरिक विशेषता	हृदय के आकार का, जैतून-धूसर (olive-grey) कवच।
मुख्य आहार	सर्वाहारी (केकड़े, जेली, झींगा)।
भारत के प्रमुख घोंसला स्थल	ओडिशा (गहिरमाथा, ऋषिकुल्या)।
अनूठा तथ्य	अरिबाडा (Arribada - सामूहिक नीडन) के लिए प्रसिद्ध।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटलों और रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं से एलपीजी शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क न वसूलें।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत CCPA की स्थापना की गई थी।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, जिसने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया, 9 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया और 20 जुलाई, 2020 से प्रभावी हुआ।
- **नोडल मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
- **CCPA की संरचना:** CCPA के प्रमुख एक मुख्य आयुक्त होते हैं और उनके साथ दो अन्य आयुक्त होते हैं:
    - एक आयुक्त वस्तुओं से संबंधित मामलों को देखता है।
    - दूसरा आयुक्त सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करता है।

CCPA के कार्य और शक्तियां

- CCPA अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और प्रवर्तन करता है।
- यह अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकता है और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी झूठे या भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित न करे।
- आवश्यकता पड़ने पर यह सामूहिक कार्रवाई मुकदमे शुरू कर सकता है, जिनमें उत्पाद वापस मंगाना, धन वापसी और लाइसेंस रद्द करना शामिल हैं।
- CCPA अपने जांच विंग के माध्यम से पूछताछ और जांच कर सकता है, जिसका नेतृत्व महानिदेशक करते हैं।

- यह अनुचित प्रथाओं को बंद करने का आदेश दे सकता है, दोषी व्यवसायों पर जुर्माना लगा सकता है और उपभोक्ता कल्याण उपायों को लागू कर सकता है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

संदर्भ

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री ने राज्यसभा को सूचित करते हुए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में

- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) कौशल विकास और उद्यमिता संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सशक्त बना रहे हैं।
- RSETI व्यापक राष्ट्रीय पहुंच के साथ प्रमुख संस्थानों के रूप में उभरा है, जो मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करता है और ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी आजीविका की सुविधा प्रदान करता है।
- ये बैंकों और सरकार के बीच एक अनूठी साझेदारी के माध्यम से कार्य कर रहे है।
- ये संस्थान न केवल कौशल प्रदान करते हैं बल्कि हैंडहोल्डिंग और क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से प्रशिक्षण के बाद सहायता भी सुनिश्चित करते हैं।
- देश के हर जिले में एक RSETI स्थापित किया गया है। संबंधित बैंक जिले में अग्रणी बैंक है और इसे बनाने और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी लेता है।
- **RSETI 18-50 वर्ष की आयु के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए अल्पकालिक, व्यावहारिक और आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते है।**
- ये संस्थान कृषि, विनिर्माण, सेवाएँ और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एनएसक्यूएफ-अनुरूप 73 पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।
- **प्रगति:** वर्तमान में, 25 बैंकों द्वारा प्रायोजित 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 619 जिलों में 632 RSETI चालू हैं
- **RSETI प्रशिक्षुओं की मान्यता:** RSETI द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रशिक्षुओं को ऋण देने के उद्देश्य से सभी बैंकों द्वारा मान्यता प्राप्त की जाएगी।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट, 2025

संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2025 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट जारी की।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट, 2025 के बारे में

- प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 2017 में PLFS शुरू किया गया था।
- यह दो प्रारूपों में डेटा प्रदान करता है: **सामान्य स्थिति (Usual Status)**, जो पिछले 365 दिनों की गतिविधियों का मानचित्रण करती है, और **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS)**, जो पिछले 7 दिनों का मानचित्रण करती है।

PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 का मुख्य सारांश

- **स्थिर भागीदारी**: 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 59.3% पर स्थिर रही, जिसमें पुरुष भागीदारी 79.1% और महिला भागीदारी 40.0% थी।
- **निरंतर रोजगार:** श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 57.4% रहा। उल्लेखनीय रूप से, ग्रामीण महिला WPR 44.9% पर स्थिर रहा, जिसने 2022 के बाद से प्राप्त लाभ को बनाए रखा।
- **बेरोजगारी में गिरावट:** कुल बेरोजगारी दर (UR) 3.1% थी। युवा बेरोजगारी (15-29 वर्ष) में पिछले वर्ष के 10.3% से घटकर 9.9% की गिरावट देखी गई।

- **नियमित वेतन की ओर झुकाव:** रोजगार की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव आया है, जिसमें नियमित वेतन/सवेतन कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 23.6% हो गई है, जबकि स्व-रोजगार घटकर 56.2% रह गया है।
- **क्षेत्रीय पुनर्गठन (Sectoral Recomposition):** रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 44.8% से घटकर 43.0% हो गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 12.1% का सुधार देखा गया।
- **शिक्षा और बेरोजगारी**: शिक्षित व्यक्तियों (माध्यमिक और उससे ऊपर) के बीच बेरोजगारी दर घटकर 6.5% रह गई, जो कुशल कार्यबल के बेहतर अवशोषण को दर्शाती है।
- **लैंगिक वेतन वृद्धि:** सभी क्षेत्रों में महिलाओं के नाममात्र वेतन (Nominal wages) में वृद्धि हुई, जिसमें स्व-रोजगार श्रेणी में सर्वाधिक 8.8% की वृद्धि देखी गई।
- **शैक्षणिक उपलब्धि:** अखिल भारतीय स्तर पर, 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए औपचारिक शिक्षा में बिताए गए वर्षों की औसत संख्या 10.0 वर्ष तक पहुँच गई।

जुड़ी हुई चुनौतियाँ

- **निष्क्रियता के लैंगिक कारण:** श्रम बल से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के कारणों में भारी असमानता मौजूद है। ○ उदाहरण: जहाँ 69.8% पुरुष निरंतर अध्ययन का हवाला देते हैं, वहीं 44.4% महिलाएँ बाल देखभाल/घरेलू कामकाज का हवाला देती हैं, जो महिलाओं के लिए निरंतर सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को उजागर करता है।
- **कार्य के घंटों में असमानता:** लिंगों के बीच आर्थिक कार्य की अवधि में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।
- **उच्च नीट (NEET) दरें:** युवाओं का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर है।
  - उदाहरण: 15-29 आयु वर्ग के लगभग 25.0% व्यक्ति **'रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं' (NEET)** हैं, जो जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) के व्यर्थ होने का जोखिम पैदा करता है।
- **निम्न व्यावसायिक प्रशिक्षण:** औपचारिक कौशल विकास की पहुँच न्यूनतम बनी हुई है।
- **तुलनीयता के मुद्दे:** सर्वेक्षण पद्धति में परिवर्तन ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण करना कठिन बनाता है।

आगे की राह

- **लैंगिक अंतराल को पाटना:** ऐसी नीतियां लागू करें जो महिलाओं पर घरेलू कामकाज के बोझ को कम करें, जैसे कि वहनीय बाल देखभाल का विस्तार और लचीले कार्य मॉडल।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार:** विनिर्माण क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए 4.2% की व्यावसायिक प्रशिक्षण दर को बढ़ाकर कम से कम 20% करने हेतु 'स्किल इंडिया मिशन' को पुनर्जीवित करें।
- **शहरी युवाओं को लक्षित करना:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप्स और सेवा-क्षेत्र केंद्रों को प्रोत्साहित करके उच्च शहरी युवा बेरोजगारी दर (13.6%) का समाधान करें।
- **रोजगार का औपचारिकरण:** श्रमिकों की एक विस्तृत श्रृंखला को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करके स्व-रोजगार से नियमित वेतन वाली नौकरियों की ओर बदलाव जारी रखें।
- **नीट (NEET) जनसंख्या का उपयोग:** विशेष रूप से वर्तमान में शिक्षा या रोजगार में शामिल नहीं होने वाले 25% युवाओं के लिए लक्षित 'ब्रिज कोर्स' और अप्रेंटिसशिप (शिक्षुता) कार्यक्रम तैयार करें।

ईवी चार्जिंग अवसंरचना (EV CHARGING INFRASTRUCTURE)

संदर्भ

सरकार ने फेम-II (FAME-II) और पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) जैसी योजनाओं के तहत पूरे भारत में ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थिति और विस्तार के बारे में संसद को सूचित किया।

पृष्ठभूमि

- ईवी चार्जिंग अवसंरचना (EV Charging Infrastructure) से तात्पर्य चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) के एक नेटवर्क से है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज करने के लिए बिजली की आपूर्ति करते हैं।

- इसमें सार्वजनिक, निजी और राजमार्ग-आधारित चार्जिंग सिस्टम शामिल हैं, जिसमें सरकारी और निजी दोनों पक्षों की भागीदारी होती है।

डेटा/प्रमुख सांख्यिकी:

- कुल ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (मार्च 2026 तक): 27,737 स्थापित; 22,753 परिचालन में।
- सर्वाधिक स्थापना वाले राज्य: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु।
- फेम-II (FAME-II) योजना: ₹912.5 करोड़ स्वीकृत; ₹655.43 करोड़ का उपयोग।
- पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना: ₹2,000 करोड़ आवंटित (अभी तक कोई फंड जारी नहीं किया गया)।
- ईवी चार्जिंग सेटअप लाइसेंस-मुक्त (de-licensed) है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी सक्षम होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पेमेंट्स विज़न 2028

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपना 'पेमेंट्स विज़न 2028' दस्तावेज़ जारी किया है, जिसका शीर्षक 'भारत के भुगतान सीमांत को आकार देना' (Shaping India's Payment Frontier) है।
- यह रणनीतिक रोडमैप 2025 के 4E (4Es - Everyone, Everywhere, Every time) विज़न का स्थान लेता है, जो अब उपभोक्ता विश्वास को गहरा करने की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इसके बारे में

- यह भारत की भुगतान प्रणालियों के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक नीतिगत ढांचा और रोडमैप है। यह केवल पहुंच के विस्तार से आगे बढ़कर वैश्विक प्रभुत्व को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की ओर एक संक्रमण का प्रतीक है कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित, अंतर-संचालनीय (interoperable) और उभरते साइबर खतरों के विरुद्ध लचीला हो।
- **संबद्ध संगठन:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)।
- **उद्देश्य:** प्राथमिक लक्ष्य धोखाधड़ी के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हुए उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **TReDS में अंतर-संचालनीयता (Interoperability):** एमएसएमई (MSME) वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करने और निर्यात-उन्मुख एमएसएमई तक सेवाओं का विस्तार करने के लिए 'व्यापार प्राप्य छूट प्रणालियों' (Trade Receivables Discounting Systems) हेतु एक एकीकृत ढांचे का प्रस्ताव करता है।
- **पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस (PaSS):** एक केंद्रीकृत सेवा जो बैंक खाता बदलते समय ग्राहकों को भुगतान निर्देशों को निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है (खाता सुवाह्यता - Account Portability)।
- **संवर्धित उपयोगकर्ता नियंत्रण:** धोखाधड़ी को कम करने के लिए वर्तमान क्रेडिट/डेबिट कार्ड नियंत्रणों के समान, सभी डिजिटल भुगतान मोड (UPI, IMPS, आदि) के लिए 'स्विच ऑन/ऑफ' (Switch On/Off) सुविधा की शुरुआत।
- **साझा देयता ढांचा (Shared Liability Framework):** एक नया उत्तरदायित्व मॉडल जहाँ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अनधिकृत लेनदेन हेतु जारीकर्ता और लाभार्थी बैंक दोनों देयता साझा करते हैं।
- **साइबर लचीलापन (KRI):** गैर-बैंक भुगतान ऑपरेटरों के लिए 'साइबर प्रमुख जोखिम संकेतकों' (Cyber Key Risk Indicators) की शुरुआत, ताकि संभावित सुरक्षा उल्लंघनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रदान किए जा सकें।
- **सीमा-पार (Cross-Border) आमूलचूल परिवर्तन:** अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए 'सिंगल-विंडो' प्राधिकरण और वैश्विक मानकों के विरुद्ध लेनदेन लागत और गति की समय-समय पर बेंचमार्किंग।
- **चेक आधुनिकीकरण:** पारंपरिक विश्वसनीयता को डिजिटल गति के साथ जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक पेश करते हुए भौतिक चेक सुरक्षा की समीक्षा करना।
- **एआई (AI) और डेटा एकीकरण:** बेहतर पारदर्शिता और अनुसंधान-आधारित नीति निर्धारण के लिए एआई-सक्षम भुगतान डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण।

- **लघु भुगतान प्रणाली प्रदाता (SPSPs):** विशिष्ट नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए 'सतत नियामक सैंडबॉक्स' (Perpetual Regulatory Sandbox) के तहत छोटे खिलाड़ियों को मान्यता।

ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रतिबंधित करने वाली ओलंपिक नीति

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने महिलाओं की स्पर्धाओं में भागीदारी को केवल जैविक महिलाओं (biological females) तक सीमित करने वाली एक नई नीति पेश की है। यह नीति 2028 के ओलंपिक खेलों से लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

मुख्य अवधारणाएं

- **लिंग (Sex) और जेंडर (Gender) के बीच अंतर:** यह अंतर खेल पात्रता पर चल रही बहस के मूल में है।
    - लिंग (Sex) जैविक विशेषताओं जैसे गुणसूत्रों (chromosomes) और प्रजनन अंगों को संदर्भित करता है।
    - जेंडर (Gender) व्यक्ति की पहचान को संदर्भित करता है, जो उनके जैविक लिंग से मेल खा सकता है या नहीं।
- **इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर एथलीट:** कुछ व्यक्ति इंटरसेक्स (intersex) होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके जैविक लक्षण विशिष्ट पुरुष/महिला श्रेणियों में फिट नहीं होते हैं।
    - ट्रांसजेंडर एथलीट अपनी जन्मजात लिंग पहचान से भिन्न जेंडर के साथ अपनी पहचान रखते हैं।
    - महिला खेलों में उनके समावेशन ने निष्पक्षता और समानता के प्रश्न खड़े किए हैं।

नई IOC नीति की मुख्य विशेषताएं

- **जैविक लिंग के आधार पर प्रतिबंध:** केवल जैविक महिलाओं के रूप में वर्गीकृत एथलीट ही महिलाओं की स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
    - यह कई ट्रांसजेंडर महिलाओं और कुछ इंटरसेक्स एथलीटों को बाहर करता है।
- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर ध्यान:** यह नीति इस विचार पर आधारित है कि जैविक अंतर शक्ति, गति और सहनशक्ति (endurance) में असमान लाभ पैदा कर सकते हैं।
    - यह महिला खेलों की अखंडता की रक्षा करना चाहती है।
- **पिछले दृष्टिकोण से बदलाव:** पहले, पात्रता अक्सर टेस्टोस्टेरोन के स्तर (testosterone levels) पर आधारित होती थी।
    - नया दृष्टिकोण हार्मोन के स्तर के बजाय जैविक लिंग पर अधिक बल देता है।

महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **निष्पक्षता बनाम समावेशन:** एक पक्ष का तर्क है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता है।
    - दूसरा पक्ष सभी एथलीटों के लिए समावेश और समान अवसर की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **वैज्ञानिक अनिश्चितता:** अध्ययनों से पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सटीक प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
    - इससे समान नियम निर्धारित करने में अनिश्चितता पैदा होती है।
- **प्राकृतिक लाभ बहस:** आलोचक सवाल करते हैं कि कुछ जैविक लाभ (जैसे ऊंचाई या फेफड़ों की क्षमता) क्यों स्वीकार किए जाते हैं, जबकि अन्य प्रतिबंधित हैं।
    - यह चयनात्मक मानकों के बारे में चिंता पैदा करता है।
- **एथलीट-स्तर के विवाद:** कास्टर सेमेन्या जैसे मामले प्राकृतिक जैविक विविधताओं वाले एथलीटों के लिए पात्रता नियमों पर विवादों को उजागर करते हैं।
- **अन्य खेल निकायों द्वारा कार्रवाई:** कई अंतरराष्ट्रीय महासंघों ने ट्रांसजेंडर एथलीटों के लिए प्रतिबंध या पात्रता नियम पेश किए हैं।
    - यह सख्त भागीदारी मानदंडों की ओर एक व्यापक वैश्विक बदलाव को इंगित करता है।

व्यापक निहितार्थ

- **अंतरराष्ट्रीय खेलों पर प्रभाव**: आईओसी नीति वैश्विक खेल नियमों को प्रभावित करने की संभावना है, क्योंकि कई संगठन इसके मार्गदर्शन का पालन करते हैं।
- **जमीनी स्तर पर भागीदारी पर प्रभाव:** यह नीति स्थानीय और शौकिया खेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भागीदारी को हतोत्साहित कर सकती है। इससे खेल संस्कृति में समावेशिता कम हो सकती है।
- **कानूनी और नैतिक चुनौतियाँ:** नीति को समानता, अधिकारों और गैर-भेदभाव के आधार पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
    - अदालतें और मानवाधिकार निकाय भविष्य के फैसलों में भूमिका निभा सकते हैं।
- **राजनीतिक और सामाजिक बहस**: यह मुद्दा दुनिया भर में लिंग पहचान और अधिकारों पर एक बड़ी चर्चा का हिस्सा बन गया है।
    - यह विज्ञान, समाज और कानून के बीच तनाव को दर्शाता है।

संभावित विकल्प

खेलों में खुली श्रेणी

- कुछ विशेषज्ञ सभी एथलीटों के लिए एक अलग खुली श्रेणी बनाने का सुझाव देते हैं।
- हालांकि, कम भागीदारी संख्या के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

खेल-विशिष्ट नियम

- एक अन्य दृष्टिकोण अलग-अलग शारीरिक मांगों पर विचार करते हुए व्यक्तिगत खेलों के आधार पर नियम बनाना है।